

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 10, शुक्रवार, श॥के 1947- जनवरी 30, 2026 Magha 10, Friday, Saka 1947- January 30, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

शुद्धि-पत्र

जयपुर, जनवरी 28, 2026

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

RAJKAJ NO 20169699 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार राजस्थान राज्य के ब्यावर-भरतपुर (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे) सड़क को छः लेन/चार लेन मय पेव्ड शोल्डर विकसित किए जाने के प्रयोजन से जिला सवाई माधोपुर में प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन हेतु राजकाज नम्बर 19520922 दिनांक 26.12.2025 द्वारा अधिसूचना में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में

जिला	तहसील एवं गांव का नाम राजकाज नम्बर 19520922 दिनांक 26.12.2025 के अनुसार			संशोधित तहसील एवं गांव का नाम		
	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भू अवाप्ति अधिकारी	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भू अवाप्ति अधिकारी
सवाई माधोपुर	वज़ीरपुर	बासपरसा	उपखंड अधिकारी वज़ीरपुर	मित्रपुरा	बासपरसा	उपखंड अधिकारी बौली
	वज़ीरपुर	नबर किशनपुरा	उपखंड अधिकारी वज़ीरपुर	बामनवास	नावड़किशनपुरा	उपखंड अधिकारी बामनवास

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव(पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

19766

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।